संख्या–5067 / सत्तर–6–2007–2(5) / 2004

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक 07 फरवरी, 2008

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्बद्धता / 11–37(एक) / 2007 / 3102, दिनांक 04.12.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री राज्यपाल मां बन्धुई देवराज महाविद्यालय, पशुहारी, बलिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5067(1) / सत्तर–6–2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, मां बन्धुई देवराज महाविद्यालय, पशुहारी, बलिया।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

प्रबन्धक
माँ बन्धुई देवराज महाविद्यालय
पशुहारी-बलिया